



राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

पी.ए.टी. 2020-21 ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसिलिंग प्रक्रिया

PAT [B.Sc. (Hons.) Agriculture/Horticulture/Forestry and B.Tech. (Agril. Engg.)]

// ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसिलिंग हेतु प्रमुख छ: चरण //

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
 2. ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं आनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online preferences/choice filling and payment of online application/portal fee)
 3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
 4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
 5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)
 6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Attendance and Admission in allotted college)
- ✓ काउंसिलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्ताकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी चरण 01 से 06 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration):

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे। पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी इन्टरनेट के माध्यम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वेबसाईट www.rvskvv.net अथवा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वेबसाईट www.jnkvv.org अथवा www.crisponlineservices.com द्वारा प्रदेश में कहीं से भी सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/ E-mail द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगईन कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी कि वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online preferences/choice filling and payment of portal fee):

सफलतापूर्वक लॉगईन पश्चात् अभ्यर्थी अपने पी.ए.टी. रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार संस्थाओं (महाविद्यालयों) का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन होगा।

- अभ्यर्थियों को सभी उपलब्ध महाविद्यालयों/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन करना होगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस (Choice) लॉक करना होगा।
- अपनी इच्छित प्राथमिकता को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं परन्तु शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- अभ्यर्थियों को शुल्क रु. 550/- का ऑनलाईन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी, जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice) का क्रम प्राथमिकता के अनुसार मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।
- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
 - इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
 - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/रूपये)

3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification):

ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम को लॉक करने के पश्चात् सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अभ्यर्थी को अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ महाविद्यालयों में सत्यापन करवाना होगा –

- अर्हकारी परीक्षा (पी.ए.टी.-2018) की अंकसूची
- 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
- 12 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- कार्यरत कृषक प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- गैप प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती

महाविद्यालयों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिये जावेंगे। महाविद्यालय अभ्यर्थियों को योग्य (Eligible) अयोग्य (Not Eligible) होने की पावती जारी करेंगे। किसी दस्तावेज के उपलब्ध न करा पाने या सही दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने के कारण अयोग्य (Not Eligible) अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। आरक्षित श्रेणी में अयोग्य (Not Eligible) हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पी.ई.बी. द्वारा घोषित पी.ए.टी. प्रावीण्य सूची के आधार एवं पी.ई.बी. नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों के अन्तर्गत रहेगी।

सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व मूल दस्तावेजों को निम्न महाविद्यालयों में सत्यापित कराया जा सकता है –

कृषि महाविद्यालय –

ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर,
रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, वारासिवनी (बालाघाट) पवारखेड़ा (होशंगाबाद)
आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, सागर।

उद्यानिकी महाविद्यालय – मंदसौर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, सागर एवं आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा

कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय– जबलपुर।
आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, सागर।

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment):

पी.ए.टी. में प्राप्तांकों, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम, पी.ए.टी. के प्रवेश नियमों के आधार पर कामैन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा जिसका प्रिंटआउट अभ्यर्थी अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर प्राप्त करेंगे।

5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee):

आवंटन के पश्चात् विद्यार्थी को अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क राशि रु. 5000 (रु. पाँच हजार मात्र) का भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती (Receipt) प्राप्त होगी, जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का विवरण मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।**

6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश

- अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र, काउंसिलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे।
- अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को संस्था में नियत दिनांक पर जमा करेगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करेगा। उसके उपरान्त शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान संस्था में करने के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति संस्था में जमा करेगा तथा एक प्रति अपने पास रखेगा।
- शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को चाही गई सीट/महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में वह आवंटित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन के लिये आवेदन कर सकता है इसमें अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने वाले छात्र को एक System Generated पत्र प्राप्त होगा जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति आवंटित महाविद्यालय जहां छात्र ने उपस्थिति दर्ज कराई है वहां रिकार्ड में रखी जावेगी। तथा अभ्यर्थी से मूल दस्तावेज न लेकर उनकी रंगीन फोटोकॉपी जमा करायी जायें।
- अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नये आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न तीन दस्तावेजों के साथ उक्त महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा:
 - 1) आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती।
 - 2) नये महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराए।
 - 3) अपग्रेडेशन की System Generated पत्र की प्रति।

अपग्रेडेशन का विकल्प प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चक्र में ही उपलब्ध रहेगा।

- संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेडेड विद्यार्थियों द्वारा "पूर्व आवंटित" महाविद्यालयों में जमा की गई शुल्क राशि एवं मूल दस्तावेजों का हस्तान्तरण अंतिम रूप से आवंटित महाविद्यालय में किया जावेगा।
- यदि अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने के बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा चाहा गया महाविद्यालय नहीं मिल पाता है तो उसका प्रवेश प्रथम आवंटित महाविद्यालय में ही रहेगा तथा उसे पुनः उस महाविद्यालय में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिष्ठाता, कृषि संकाय